

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 636/2022

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

मन्जू मोठसरा पत्नी श्री विजयपाल जाति जाट निवासी डबलीवास पेमा तह. व जिला हनुमानगढ़।
वादीया

बनाम

1 सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी सिंघाना तह.बुहाना जिला झुझनु

2 अहमद पुत्र नबिया (फौत)

2/1 अलादित्ता

2/2 अलाबक्श

2/3 गुलजारां

2/4 सईयां

2/5 साबर अली

2/6 सादक अली

2/7 असकर अली

2/8 शरफ ईलाही

2/9 जमीला बीबी

2/10 जैना बीबी

2/11 इमामसेन

2/12. नूर सेन उर्फ नूरबानो

पि.वली मोहम्मद पुत्र स्व.अहमद जाति मुस्तमान निवासी किकरवाली

पि.खुशीमोहम्मद पुत्र स्व.अहमद जाति मुसलमान नि.किकरवाली

3 इमाम बक्श पुत्र मिसरी जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

4 इलाही बक्श पुत्र सुभान (फौत)

4/1 रानी

4/2 आमादीन

4/3 साबर अली

4/4 सुबासादक

4/5 यासीन

4/6 आमीन

4/7 मनीर

4/8 मोहम्मद अजहर

4/9 मोहम्मद तुफैल

4/10 सरदारां बीबी

4/11 निशार बीबी

पि.इलाहीबक्श पुत्र सुभान जाति मुसलमान सा.मियावाली ढाणी
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5 गुलाम मोहम्मद पुत्र मिसरी (फौत)

5/1 सईयां बीबी पत्नि गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

5/2 फलकशेर पुत्र/पुत्री गुलाम मोहम्मद पुत्र मिसरी

5/3 शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

5/4 मुस्तफा

5/5 बसकाई

6 चिराग अली पुत्र सलेम जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

7 मोहम्मद सतार पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

8 मोहम्मद सराज पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

9 मोहम्मद हुसैन पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

महायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

10 मोहम्मददीन पुत्र पीरबक्श (फौत)

10/1 शरीफां पत्नि मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी मियावाली ढाणी

10/2 मोहम्मद सुभान पुत्र/पुत्रियां मोहम्मदीन

10/3 अलादित्ता जाति मुसलमान निवासी मियावाली ढाणी

10/4 गुलजारां बीबी

10/5 कुरैशां बीबी

10/6 सुभान बीबी

10/7 कश्मीर बीबी

10/8 नूर बीबी

11 यासीन पुत्र इलाहीबक्श (फौत)

11/1 जना पत्नि यासीन जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

11/2 शेर अहमद पुत्र/पुत्रियां यासीन पुत्र इलाहीबक्श

11/3 फलकशेर जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

11/4 अलीशेर

11/5 इस्मा बीबी

12 रमजान मोहम्मद पुत्र मिसरी जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

13 सरदार अली पुत्र सलेम फौत

13/1 शकीनाबीबी पत्नि सरदारअली जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

13/2 तुफैल खां पुत्र/पुत्रियां सरदार अली पुत्र सलेम

13/3 मुस्तफा जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

13/4 सलीमा बीबी

13/5 गुलजारां बीबी

13/6 बरकत अली

13/7 फरजन्द अली

13/8 इमामसैन

14 सलाम पुत्र अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली

15 हाकमअली पुत्र सलेम (फौत)

15/1 नूरभरी पत्नी हाकम अली

15/2 अलादित्ता

15/3 याकुब खां

15/4 मोहम्मद हुसैन

15/5 जैना बीबी

15/6 सकीनाबीबी

15/7 निशार बीबी

15/8 हनीफां बीबी

16 स्टेट बैंक आफ इन्डिया शाखा लीलावाली

17 तहसीलदार राजस्व संगरिया



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 25.2.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल

कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री संजय

साहेवाल प्रति.सं. 16 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.

संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 6 डीएलपी


महायुक्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

1. मन्जू मोठसरा पत्नी विजयपाल जाति जाट सा.डबलीवास पेमा तह.हनुमानगढ़

प.न.	मु.न.	किला नं.
140/195	54	6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 17,24/0.506, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.रास्ता,

2. मोहम्मद रमजना पुत्र मिसरी खां जाति मुसलमान सा.किकरवाली

प.न.	मु.न.	किला नं.
141/195	53	8,9,10,11,12,13/1.518, 19,20/0.506

3. इमाम बक्श पुत्र मिसरी खां जाति मुसलमान सा.किकरवाली

प.न.	मु.न.	किला नं.
141/195	53	18,21,22,23/1.012
141/196	59	1,2,3/0.759, 8/1/0.127

4. गुलाम मोहम्मद पुत्र मिसरी खां (फौत) कब्जा काश्त वारिसान जाति मुसलमान सा. किकरवाली

प.न.	मु.न.	किला नं.
141/196	59	9,10,11,12/1.012, 19,20,21,22/1.012

5. यासीन पुत्र ईलाही बक्श (फौत) कब्जा काश्त वारिसान जाति मुसलमान सा.किकरवाली

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/192	26	15/0.013, 16/1/0.202, 16/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 24/0.253, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.रास्ता
143/192	27	20/0.139

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/91 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज........मुब्लिक........बाबत........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक........को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.2.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया